

18/5/26

चापला अनुपस्थित। न्यायालय समय, कोई भी
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं
आया। अतः वादपत्र/प्रा० पत्र अदम न्यायालय
अदम पैरवी में इसी स्तर पर स्वीकार किया जाता
है। पत्रावली फौसला नुमा न. से कम की जाकीय
दाखिल स्फुतर ही।

H